IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

चम्पारण सत्याग्रह में महात्मा गाँधी की भूमिका

(Role of Mahatma Gandhi in Champaran Satyagrah)

–चन्द्रषेखर कुमार

अतिथि सहायक प्रोफेसर
एम0 जे0 के0 कॉलेज, बेतिया प0 चम्पारण
बी0 आर0 ए0 बिहार विष्वविद्यालय, मुजफ्फरपपुर

तिरहुत प्रमण्डल के चारों जिले मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और चम्पारण में नील की खेती ज्यादा होती थी। सर्वप्रथम 1813 ई. में कर्नल हिक्की नामक अंग्रेज ने बारा (चकिया) में नीलहा कोठी की स्थापना की। सन् 1824 ई. में मोरेनहिल नामक अंग्रेज ने लालसरैया में नील की कोठी स्थापित की।[1] 1866 ई. में चम्पारण को अगला जिला बनाया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक चम्पारण में अंग्रेजों ने अनेक कोठियाँ स्थापित कर लो। ये लोग खुरकी कोतवाली और तिनकठिया व्यवस्था के द्वारा किसानों पर तरह–तरह के अत्याचार करा कर उनका शोषण करते थे। खुदकटी व्यवस्था के द्वारा अंग्रेज रैयतों को कुछ रूपैया देकर उनकी कुल जमीन, घर इत्यादि जरपेशगी रख लेते थे और जीवनभर उनसे नील की खेती कराते थे। इस तरह तिनकठिया प्रथा के द्वारा किसानों को अपने खेत के प्रत्येक बीघा के तीन कठे में नील की खेती करनी पड़ती थी। उनमें खर्च रैयत का होता था और बिना मुआवजा दिए नील अंग्रेज ले जाते थे। इतना हीं नहीं बपहीपुतही यानि जब बाप मर जाये तो उसका बेटा बिना कोई निश्चित राशि दिए अपने जमीन का वैधानिक वारिस नही बन सकता था। चम्पारणवासी नीलहे अंग्रेज लोगों के इस जुल्म के भुक्तभोगी थे। 1905 में उनके खिलाफ आवाज उठी।[2]

चम्पारण के सतवारिया ग्राम के निवासी पं. राज कुमार शुक्ल भी अंग्रेज जमींदार के अत्याचार से पीड़ित थे। राजकुमार शुक्ल ने अंग्रेजों का विरोध एवं पीड़ितों की सहायता करना शुरू किया। इससे बेलवा कोठी का अंग्रेज मैनेजर ए.सी. एमन बहुत क्रुद्ध हुआ। शुक्ल के विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज मैनेजर एमन उन्हें तरह–तरह की यातनाएँ देने लगा। उनकी पुरी फसल नष्ट कर दी जाती थी। मुरली भरहवा स्थित उनके मकान को नष्ट कर दिया गया। उनकी जमीन और सम्पति जब्त कर ली गयी। स्वयं एमन ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाये। बेलवा कोठी के मैनेजर ए.सी. एमन ने तो नियम ही बना रखा था कि ब्याह कर लायी गयी पतोहू पहली रात सलामी के लिए कोठी पहुंचायी जाये। अंग्रेज मैनेजर के अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने अंग्रेजो की भारत से विदाई हेतु प्रतिज्ञा कर ली। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले मोतिहारी के यशस्वी पुरूष श्री गोरख प्रसाद तथा बिहार के यशस्वी अधिवक्ता एवं काँग्रेसी नेता श्री ब्रजकिशोर प्रसाद से भेंट की तथा किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया।[3]

अंग्रेजो के अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति के लिए किसान आन्दोलन के नेता राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में मोहनदास करमचन्द गाँधी को चम्पारण बुलाने हेतु तीन व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी। 1. पं. राजकुमार शुक्ल ग्राम–मुरली भरहवा 2. श्री संत भगत ग्राम अमोलवा 3. पीर मोहम्मद मोनिस ग्राम बेतिया

सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि शेख गुलाब, शीतलराय और राजकुमार शुक्ल 1916 ई में लखनऊ में होने वाले काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लें। लखनऊ अधिवेशन में किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल को पहली बार किसान मंच से सम्पूर्ण भारत के प्रतिनिधियों के सामने किसानों पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण का वर्णन करने का मौका मिला। गाँधी जी ने चम्पारण की हालत सुनकर सहानुभूति जताई एवं चम्पारण आने का आश्वासन दिया।[4]

बिहार आने के बाद राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 ई. को बेतिया से कैथी में एक मार्मिक पत्र लिखा, 'किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तान सुनो' गाँधीजी ने जवाब दिया कि अप्रैल 1917 ई. में काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला है। मैं कलकत्ता में भूपेन्द्र बसु के घर पर ठहरूंगा, वही आकर मिलें। पं. राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब और शीतल राय गाँधीजी को लाने के लिए कलकत्ता चले गए।

अगले दिन मोहनदास करमचन्द गाँधी बिहार प्लैन्टर्स एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मिले। उन्होंने कहा कि अंग्रेज के 'तीन कठिया' कानून के चलते किसानों एवं उनके रैयतों पर हो रहे जुल्म की जाँच करना चाहता हूँ। विल्सन के दूत ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था. मिस्टर गाँधी, चम्पारण में किसी तरह की जाँच की जरूरत नहीं है। गाँधीजी 13 अप्रैल 1917 ई. को तिरहुत के कमिश्नर एफ मोशेंड़ से मिले। मोशेंड ने तिरहुत छोड़ने की सलाह दी और कहा कि आपको चम्पारण आने की जरूरत नहीं है। तिरहुत के कमिश्नर ने चम्पारण के मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि गाँधीजी के चम्पारण आने की स्थिति में धारा 144 के तहत कारवाई करें।[5]
15 अप्रैल 1917 को गाँधीजी धरणीधर प्रसाद के साथ शाम में 3 बजे मोतिहारी स्टेशन पहुँचे तथा मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद के घर चले गए। अगले दिन उन्हें जसवली पट्टी गाँव के व्यक्ति पर जमीनदार के अत्याचार की सूचना मिली। 16 अप्रैल को गाँधीजी हाथी पर सवार होकर रामनवमी प्रसाद के साथ जसवली पट्टी के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही पुलिस के दारोगा ने गाँधीजी को चम्पारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्लू.बी. हिकॉक का पत्र दिया। पत्र में लिखा था आपके चम्पारण आने से शाति व्यवस्था भंग होने और प्राणहानि होने का खतरा है। अतः चम्पारण आने का विचार त्याग दें। गाँधीजी ने उस आदेश को मानने से इंकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड़ को भुगतने का फैसला कर लिया। इसके बाद गाँधीजी ने डा. राजेन्द्र प्रसाद और सी.एफ. एन्ड्रयूज से चम्पारण आने का निवेदन किया।[6]

18 अप्रैल 1917 ई. को महात्मा गाँधी पर सरकारी आदेश तोड़ने के आरोप में कारवाई शुरू हुयी। 18 अप्रैल को एस.डी.ओ. मोतिहारी के कार्यालय में गाँधीजी को उपस्थित होने का आदेश मिला। जहाँ धारा 144 और 188 के उलंधन के आरोप में गाँधीजी को सफाई देनी थी। एस.डी.ओ. मोतिहारी की अदालत में महात्मा गाँधी ने जो ऐतिहासिक ब्यान दिया वह उनके निजी जीवन एवं राष्ट्रीय आन्दोलन (चम्पारण सत्याग्रह) के इतिहास में अमर है।[7] गाँधीजी ने अपने चम्पारण आने के उद्देश्यों को स्पष्टता के साथ रखने के साथ पूरी जानकारी प्राप्त किये बिना चम्पारण से जाने से इंकार कर दिया और सरकारी आदेशों की अवमानना करते हुए हर सरकारी फैसले को झेलने की तैयारी की घोषणा की। स्थिति की गभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को मुकदमा वापस ले लिया। 18 अप्रैल 1917 ई. को गाँधी जी ने मोतिहारी के एस.डी.ओ. कोर्ट में जो लिखित वक्तव्य दिया, वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो बाद के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत सिद्ध हुआ।[8] एस.डी.ओ. मोतिहारी के अदालत में गाँधीजी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसके अंश प्रकार है अदालत की आज्ञा से मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि नोटिस द्वारा जो मुझे

आज्ञा दी गई, उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझ में यह स्थानीय अधिकारियों और मेरे मध्य में मतभेद का प्रश्न है।[9]

मैं इस देश में राष्ट्रीय तथा मानव सेवा करने के विचार से आया हूँ। यहाँ आकर उन रैयतों की सहायता करने के लिए, जिनके साथ कहा जाता है कि नीलहे साहब अच्छा व्यवहार नहीं करते, मुझसे आग्रह किया गया था, पर जब तक मैं सब बातें अच्छी तरह न जान लेता तब तक उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए मैं, यदि हो सके, तो अधिकारियों और नीलवरों की सहायता से, सब बातें जानने के लिए आया हूँ। मं किसी दूसरे उदेश्य से नहीं आया हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे यहाँ आने से किसी प्रकार शांतिभंग या प्राणहानि हो सकती है। मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का मुझे बहुत कुछ अनुभव है। अधिकारियों को जो कठिनाईयाँ होती है उनको मैं समझता हूँ आर मैं यह भी मानता हूँ कि उन्हें जो सूचना मिलती है वे केवल उसी के अनुसार काम कर सकते है। कानून मानने वाले व्यक्ति की तरह मेरी प्रवृति यही होनी चाहिए थी और ऐसी प्रवृति हुई भी थी कि मैं इस आज्ञा का पालन करूँ। पर मैं उन लोगों के प्रति, जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, अपने कर्तव्य का उलंघन नहीं कर सकता था। मैं समझता हूँ कि मैं उनलोगों के बीच में रह कर ही उनकी भलाई कर सकता हूँ। इस कारण मैं स्वेच्छा से इस स्थान से नहीं जा सकता था। दो कर्तव्यों के परस्पर विरोध की दशा में मैं केवल यहीं कर सकता था कि अपने हटान की सारी जिम्मेदारी शासकों पर छोड़ दूँ। मैं भलीभाँति जानता हूँ कि भारत के सार्वजनिक जीवन में मेरी जैसी स्थिति वाले लोगों को आदर्श उपस्थित करने में बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस स्थिति में मैं हूँ. उस स्थिति में प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति को वही काम करना अच्छा है, जो इस समय मैने करने का निश्चय किया है और वह यह कि बिना किसी प्रकार का विरोध किये आज्ञा न मानने का दंड सहने के लिए तैयार हो जाऊँ (च्मदंसजल व िक्पेवइमकपमदबम) मैंने जो ब्यान दिया है वह इसलिए नहीं कि जो दंड हमें मिलने वाला है वह कम किया जाय। मैंने सरकारी आज्ञा की अवज्ञा इस कारण से नहीं की है कि मुझे सरकार के प्रति श्रद्धा नहीं है, बल्कि इस कारण से है कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा अपनी विवक बुद्धि की आज्ञा का पालन करना उचित समझा है।

फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे।
वह शम्मा क्या बुझे जिसे रौशन खुदा करें।।

इस ऐतिहासिक जीत के बाद गाँधीजी 22 अप्रैल 1917 ई. को बेतिया के लिए रवाना हुए। शाम में अपार जनसमुह के साथ हजारीमल धर्मशाला पहुँचे। उसी धर्मशाला में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ महीनों रह कर गाँधीजी ने चम्पारण के हजारों शोषित, पीड़ित किसानों की व्यथा सुनी। इसी धर्मशाला में पहली बार ग्रामीणों ने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई तथा 850 गाँवो के लगभग 10 हजार किसानों ने नीलहे गोरों के अत्याचारों से सम्बन्धित बयानों को लिखित रूप से दर्ज कराया।[9] गाँधीजी 22 अप्रैल को ब्रजकिशोर प्रसाद एवं राजकुमार शुक्ल के साथ लौकरिया गाँव पहुँचे। 27 अप्रैल को नरकटियागंज पहुँचे। 27 अप्रैल 1917 ई. को महात्मा गाँधी, ब्रजकिशोर बाबू, रामनवमी बाबू, विन्ध्यवासिनी बाबू, अवधेश प्रसाद आदि के साथ शिकारपुर होते हुए राजकुमार शुक्ल के घर मुरली भरहवा पहुँचे। वे लोग बेलवा कोठी के नीलहा मैनेजर ए.सी.एमन से मिलने भी गए तथा रात में अमोलवा के संत राउत के घर ठहरे। चम्पारण के गाँवों में घुमते हुए गाँधीजी ने भितिहरवा में एक महआ पेड़ के नीचे बैठ कर उपस्थित लोगों के बीच निरक्षरता दूर करने क लिए संकल्प लिया। इस प्रकार मई 1917 ई. से अक्टुबर 1917 ई. तक लोगों के हालात का व्योरा इक्ट्ठा करते रहे। गाँधीजी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बिहार के तत्कालीन गर्वनर सर एडवर्ड गेट ने चम्पारण की स्थिति या मामले की जाँच के लिए एक आयोग का गठन किया और गाँधीजी को इसका सदस्य बनाया।[10]

इस जाँच आयोग नीलहों और जमींनदारों के प्रतिनिधि के रूप में गाँधीजी प्रतिनियुक्त थे। उन्होंने आयोग को यह समझाया कि तिनकठिया प्रथा खत्म होनी चाहिए। जाँच कमिटी ने सभो शिकायतों को सही पाया और तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने हेतु 4 अक्टुबर 1917 ई. को जाँच समिति (आयोग) ने सरकार से सिफारिश किया। एक कानून बना कर (चम्पारण कृषि अधिनियम) तिन कठिया प्रथा उठा लिया गया। साथ ही गोरे बगान मालिकों को अवैध वसूली का 25 प्रतिशत हिस्सा किसानों को वापस करना पड़ा।

इस प्रकार नीलहों के राज्य का अन्त हुआ तथा नील की खेती के अभिशाप से किसानों को मुक्ति मिली। चम्पारण की समस्या का समाधान हुआ तथा चम्पारण सत्याग्रह की सफलता के फलस्वरूप गाँधीजी राष्ट्रीय नेता बन गये तथा मोहनदास करमचन्द गाँधी को 'महात्मा' बनने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रिका से लौट कर भारत में अहिंसा एवं सत्याग्रह का सफल प्रयोग चम्पारण की धरती पर ही किया गया। उन्होंने चम्पारण में शोषण और पीछड़ेपन को समाप्त करने के लिए कई पाठशालायें स्थापित की। चम्पारण ही नहीं हिन्दुस्तान में गाँधीजी की प्रथम सत्याग्रह की यह अभूतपूर्व सफलता थी।[11] बहत कम दिनों के अन्दर पहली अहिंसक लड़ाई को सुखद अंजाम तक पहुँचना चौंका देने वाला था। भारत में पहले सत्याग्रह की कामयाबी ने लोगों के अन्दर उत्साह पैदा कर दिया। इसके बाद आजादी की लड़ाई के इतिहास का सत्याग्रही–युग जो गाँधी–युग कहलाया, की शुरूआत हुयी। इस शुरूआती पहल ने ही किसानों के अन्दर अत्याचारों के विरूद्ध खड़े होने और अहिंसक प्रतिकार करने की हिम्मत पैदा कर दी।

संदर्भ

1. बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय बिहार सरकार, पटना
2. ळंदकीप पद बेंउचंतंद डॉ. डी. जी तेन्दुलकर
3. गाँधी को आत्मकथा डींजउं ळंदकोप
4. ळंदकीप पद ठपींत–च.ब. त्वल बेंदकीप, त्र ठीीं च्ंजदं
5. राधा गोविन्द प्रसाद मबतमजंतपंज च्तमे च्ंजदं 1976
6. छंजपवदंस डवअमउमदज पद पदकपं क्त. त्रमदकतं च्तेंक.
7. ठपींत क्पेजतपबज ळंमजजममत – च.ब. बेंनकींतल, त्मअमदनमे क्मचजज. च्ंजदं.
8. बिहार स्वतंत्रता संग्राम से जुटे हुए बिहार के कुछ ऐतिहासिक स्थल के विवरण मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पटना (बिहार)
9. जीम श्रवनतदंस व ि ठपींत – व्तपें त्मेमंतबी ैवबपमदजल च्ंतज ट – टप 1930, 1932.
10. बिहार विधान सभा वादवृत रिपोर्ट (सरकारी रिपोर्ट) 15.02.54 से 23.02.54 राजकीय मद्रणालय (बिहार पटना)
11. असरफ कादरी राष्ट्रीय आन्दोलन और चम्पारण के स्वंतत्रता सेनानी।